कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 984 / रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,सितम्बर, 19, , 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे. आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे. आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 127.1637 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या– 1187/मीरजापुर/33 दिनांक– 07.09.2017

महोदय,

विषयक संदर्भित पत्र, जो अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय पिपरी–सोनभद्र को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कराते हुए अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय पिपरी–सोनभद्र ने अपने पत्र संख्या– 838/ क.नि.ख.प्र./दिनांक– 18.09.2017 द्वारा प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है । उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित 12 वर्षो की क्षतिपूरक वनीकरण योजना वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
2	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्व परियोजना का लागत–लाभ विश्लेषण भारत सरकार के पत्र संख्या–166/14–2–2017–800(103)/2017 दिनांक– 28.08.2017 जो 01.08.2017 से प्रभावी है की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है , के अनुसार लागत-लाभ विश्लेषण प्राक्कलन संलग्न की जाये ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी गयी लागत–लाभ विश्लेषण प्राक्कलन सत्यापित करते हुए संलग्न है ।

भवदीय,
19.9.17
(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या– 838 दिनांक– 18.09.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– /ओबरा/33 दिनांक– 19/09/2017.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट–सोनभद्र।

विषय :– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 383/11–सी–एफ–पी/यू0पी0/सिचाई/20269 दिनांक 10.08.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक 1187/मीरजापुर/33 मीजापुर, दिनांक 07.09.2017.

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र जो अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पीपरी–सोनभद्र को सम्बोधित एवं आपको तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रकरण के प्रस्ताव में 2 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी थी। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय का पत्र संख्या– 837/क0नि0ख0प0/ दिनांक 18.09.2017 से आपत्तियों का निराकरण कर इस वन प्रभाग को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षक सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।	एक वर्ष का मृदा कार्य, एक वर्ष का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित समेकित प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है।
2	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्व परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के पत्र संख्या– 166/14–2–2017–800(103)/2017 दिनांक 28.08.2017 जो 01.08.2017 से प्रभावी है की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, के अनुसार लागन लाभ विश्लेषण प्राक्कलन संलग्न की जाये।	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्व परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण तैयार कर संलग्न कर दिया गया है। लाभ लागत विश्लेषण 1.30 : 1 है।

उपरोक्त आपत्तियों को दूर करते हुए आलेखों को प्रतिहस्ताक्षरित कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 895 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।